

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक: एफ.1(2) एफ.डी. (रूल्स)/06/पार्ट-1 दिनांक: 11 जून 2014 एवं 07 अगस्त 2014 की पालना में निम्नांकित व्याख्याता भौतिक विज्ञान (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र/स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राज्यादि)	विषय	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या
1	अजीत चौधरी, आसोतरा (बाडमेर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	24.02.2020 से 28.02.2020 तक	05 दिन
2	शिल्पा, शिव (कुचामन) नागौर	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	14.08.2017 से 21.08.2017 तक	08 दिन
				09.07.2018 से 14.07.2018 तक	06 दिन
				07.08.2018 से 14.08.2018 तक	08 दिन
				08.05.19	01 दिन
				कुल दिवस	23 दिवस
3	अरुण स्वामी, टोकर (उदयपुर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक	08.04.2019 एवं 16.04.2019	02 दिन


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 05/05/2020

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/प्रो.ट्रे./अवैतनिक/अवकाश/2019-20

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा)।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनेलैसिसट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से पीएससी-15 में चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिमूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्राधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिदीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिदीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्राधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन शृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं वेय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रसं	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमादि/सादाउमादि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	BC.WE.	305	252	शिल्पा, शिव (नागौर)	भौतिक	21-06-89	23-06-17	23-06-19
2	GE.WE. DC.RG	425	405	शिप्रा गुप्ता, मालपुरा (टींक)	भौतिक	02-10-90	15-12-17	15-12-19


(सौरभ स्वामी)


अधीक्षक
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 05/05/2020

क्रमांक:-शिविया/माध्य/संस्था/सी-3/प्रो.ट्रे/भौतिक/स्थाईकरण/2015/2020-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैरिसट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर